उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 20(4) 2002-का-2/2002

लखनऊ दिनांक 29 जून, 2002

अधिसूचना संख्या 20(4) 2002, दिनांक 29 जून, 2002 के द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2002 (अंग्रेजी रूपान्तर सहित) संलग्न प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

4–सचिव, राजयपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।

5–सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

6–सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

7–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

8–सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

9–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0 प्र0, लखनऊ को असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ।

आज्ञा से,
पी० एन० यादव,
संयुक्त सचिव।

क्रम-सं०-193(ख-1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर-जी-11/लाई०-
न्यूज पेपर/91/05-06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शनिवार, 29 जून, 2002

आषाढ़ 8, 1924 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 20/4/2002/का-2-2002

लखनऊ, 29 जून, 2002

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०-4

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमावलियां और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2002

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2002 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन सीधी भर्ती के समूह "ग" के पदों पर लागू होगी सिवाय उन पदों और विभागों के :

(एक) जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के नियन्त्रण और अधीक्षण के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों और प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस और अग्नि शमन सेवाओं को सम्मिलित करते हुये पुलिस विभाग के क्षेत्रान्तर्गत हों,

(दो) जिनकी विहित की गयी न्यूनतम शैक्षिक अर्हता माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता से कम हो,

(तीन) जो सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश द्वारा इस नियमावली के लागू होने से अपवर्जित हों।

अध्यारोही प्रभाव

2—यह नियमावली किसी अन्य नियमावली या आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी प्रभावी होगी।

परिभाषा

3—इस नियमावली में, जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो :

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य संगत सेवानियमावली के अधीन नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है,

(ख) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है,

(ग) "सरकार" तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(घ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(ङ) "अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की अनुसूची—1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से है।

रिक्तियों का अवधारण

4—नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या संगत सेवा नियमावली के अनुसार भी अवधारित करेगा। यदि चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी से निम्न कोई अधिकारी है तो नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति के अध्यक्ष को रिक्तियों की सूचना देगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

5—(1) सीधी भर्ती करने के लिए रिक्तियां निम्नलिखित रीति से अधिसूचित की जायेगी :—

(एक) ऐसे दैनिक समाचार-पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके,

(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चिपका कर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार-पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके और

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।

(2) चयन के विचारार्थ आवेदन-पत्र उपनियम (1) के अधीन जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे।

(3) चयन के लिए कुल प्राप्तांक एक सौ अंक के होंगे। अभ्यर्थियों के लिए श्रेष्ठता सूची निम्नलिखित रीति से तैयार की जायेगी :—

(क) शैक्षिक योग्यता के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को अंक निम्नलिखित रीति से दिये जायेंगे :—

शैक्षिक योग्यता	प्राप्त श्रेणी	अंक जो दिये जायेंगे
(एक) इण्टरमीडिएट	प्रथम श्रेणी	तीस अंक
	द्वितीय श्रेणी	बीस अंक
	तृतीय श्रेणी	दस अंक
(दो) स्नातक उपाधि	प्रथम श्रेणी	दस अंक
	द्वितीय श्रेणी	छ' अंक
	तृतीय श्रेणी	चार अंक
(तीन) स्नातकोत्तर उपाधि	प्रथम श्रेणी	दस अंक
	द्वितीय श्रेणी	छ' अंक
	तृतीय श्रेणी	चार अंक

परन्तु ऐसे पद जिनके लिए कोई शारीरिक मानक, अनिवार्य, अर्हता के रूप में या भर्ती के ढंग के रूप में विहित किये गये हों चयन के पूर्व अभ्यर्थियों से विहित शारीरिक परीक्षण कराने की अपेक्षा की जायेगी और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को चयन के लिए विचार किया जायेगा जो पद के लिए विहित न्यूनतम मानकों को पूरा करते हों।

(ख) छंटनीशुदा कर्मचारियों को निम्नलिखित रीति से अंक दिया जायेगा जो अधिकतम पन्द्रह अंक होगा :

(एक) सेवा के प्रथम पूर्ण वर्ष के लिए	पांच अंक
(दो) सेवा के दूसरे और प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए	प्रत्येक वर्ष के लिए पांच अंक

(ग) किसी खिलाड़ी की निम्नलिखित रीति से अंक दिया जायेगा जो चयन के लिए परीक्षा हेतु नियत कुल अंकों का अधिकतम पांच अंक होगा :–

(एक) यदि अभ्यर्थी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो	पांच अंक
(दो) यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो	चार अंक
(तीन) यदि अभ्यर्थी राज्य स्तर का खिलाड़ी हो	तीन अंक
(चार) यदि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/कालेज/स्कूल स्तर का खिलाड़ी हो	दो अंक

(घ) किसी ऐसे पद पर जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के लिए विहित हो, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में यथास्थिति, टंकण या आशुलिपि और टंकण की अर्हक प्रकृति की परीक्षा होगी। केवल ऐसे अभ्यर्थियों का चयन के लिए विचार किया जायेगा जिन्होंने, यथास्थिति, टंकण या आशुलिपि और टंकण के लिए विहित न्यूनतम गति प्राप्त कर ली हो। टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या उतनी होगी जितनी चयन समिति द्वारा समिति द्वारा उपयुक्त समझी जाए। इस प्रयोजन के लिए नियम 4 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुये अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची उनके द्वारा खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन प्राप्त अंकों के आधार पर पृथक रूप से तैयार की जायेगी।

(4) (क) उपनियम (3) के खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) के अधीन मूल्यांकनों के परिणाम प्राप्त हो जाने, और सारणीबद्ध कर लिए जाने के पश्चात चयन समिति, नियम 4 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुये साक्षात्कार करेगी। साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की चार गुना होगी। किसी पद पर, जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, केवल ऐसे अभ्यर्थियों को, जो उपनियम 4 के खण्ड (घ) के अधीन यथास्थिति टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा में सफल हो गये हों, साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।

(ख) साक्षात्कार कुल तीस अंकों का होगा। साक्षात्कार में अध्यक्ष और सभी अन्य सदस्यों द्वारा पृथक-पृथक निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे :–

(एक) विषय/सामान्य ज्ञान	बारह अंकों तक
(दो) व्यक्तित्व निर्धारण	नौ अंकों तक
(तीन) अभिव्यक्ति की क्षमता	नौ अंकों तक

टिप्पणी:–किसी अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त किये गये कुल अंक चयन समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्यों द्वारा पृथक-पृथक रूप में दिये गये अंकों के औसत की गंणना करके अवधारित किये जायें।

(ग) चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को किसी भी दशा में साक्षात्कार के समय उपनियम (3) के खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी जायेगी।

(5) उपनियम (4) के अधीन साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को उपनियम (3) के अधीन प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा।

(6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी।

चयन समिति का गठन

6—सीधी भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी	अध्यक्ष
(दो) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, या अनुसूचित जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूति जनजातियों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।	सदस्य
(तीन) अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।	सदस्य
(चार) भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।	संदस्य
(पांच) सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अधिकारी।	सदस्य

टिप्पणी 1:—यदि नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष हो तो ऐसी दशा में चयन समिति के सभी सदस्य उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे। वह अपने स्थान पर किसी ऐसे अधिकारी को, जो अन्य सदस्यों से ज्येष्ठ हो, चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नाम-निर्दिष्ट कर सकता है। ऐसा विभागाध्यक्ष केवल साक्षात्कार के लिए एक से अधिक चयन समिति गठित कर सकता है।

टिप्पणी 2:—यदि किसी नियुक्ति प्राधिकारी का क्षेत्राधिकार एक से अधिक जिले में हो तो उस दशा में भर्ती की प्रक्रिया उस जिले में की जायेगी जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी का मुख्यालय स्थित हो।

फीस

7—चयन के लिए अभ्यर्थियों से चयन समिति को ऐसी फीस देने की अपेक्षा की जायेगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय। फीस की वापसी के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण

8—अभ्यर्थियों को ऐसी फीस का, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय, भुगतान करने पर नियम 5 के अनुसार चयन समिति द्वारा की गयी चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित अभिलेखों और उसमें दिये गये अंकों का निरीक्षण करने की अनुमति दी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसी इच्छा व्यक्त करे तो उसे पांच रुपये प्रति पृष्ठ की दर से फीस का भुगतान करने पर ऐसे अभिलेखों की फोटो प्रतियां भी दी जायेंगी।

आज्ञा से,
राजेन्द्र भौनवाल,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 20/4/2002-Ka-2-2002, dated June 29, 2002:

No. 20/4/2002-Ka-2/2002

Dated Lucknow, June 29, 2002

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules:

THE UTTAR PRADESH PROCEDURE FOR DIRECT RECRUITMENT FOR GROUP 'C' POSTS (OUTSIDE THE PURVIEW OF THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION) RULES, 2002

Commencement and application

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Procedure for Direct Recruitment for Group ''C'' Posts (Outside the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission) Rules, 2002.

(2) They shall come into force at once.

(3) They shall apply to direct recruitment to Group 'C'' posts under the rule making power of the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution, except the posts and Departments:

(i) Which are within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission, Uttar Pradesh Secondary Education Services Board, Uttar Pradesh Higher Education Service Commission, High Court and the Subordinate Courts under the control and superintendence of the High Court and the Police Department including Provincial Armed Constabulary and Fire Services;

(ii) Which have the prescribed minimum academic qualification lower than the intermediate Examination Certificate of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an equivalent qualification recognised by the Government.

(iii) which are excluded from application of these rules by the Government by notified order.

Overriding effect

2. These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules or orders.

Definitions

3. In these rules, unless there in anything repugnant in the subject or context:

(a) ''appointing authority'' means the authority empowered to make appointment under the relevant service rules;

(b) ''Constitution'' means the Constitution of India;

(c) ''Government'' means the State Government of Uttar Pradesh;

(d) '' Governor'' means the Governor of Uttar Pradesh;

(e) ''Other Backward Classes'' means the other Backward Classess of citizens specified in Schedule 1 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994 as amended from time to time.

Determination of vacancies

4. The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with the releva. service rules. In case the Chairman of the Selection Committee is an officer other t. n the appointing authority, the appointing authority shall intimate the vacancies to the Chairman of the Selection Committee.

Procedure for direct recruitment

5. (1) For making direct recruitment the vacancies shall be notified in the following manner:–

(i) by issuing advertisement in daily news paper having wide circulation;

(ii) by pasting the notice on the notice board of the office or by advertising through Radio/Television and other Employment news papers, and

(iii) by notifying vacancies to the Employment Exchange.

(2) Application for being considered for selection shall be called in the form published in the advertisement issued under sub-rule (1).

(3) The selection shall carry one Hundred marks. The merit list of the candidates shall be prepared in the following manner:–

(a) Marks for academic qualification shall be awarded to each candidate in the manner given below:–

Academic qualification	Division Secured	Marks be awarded
(i) Intermediate	First Division	Thirty marks
	Second Division	Twenty marks
	Third Division	Ten marks
(ii) Bachelor's degree	First Division	Ten marks
	Second Division	Six marks
	Third Division	Four marks
(iii) Post-graduate degree	First Division	Ten marks
	Second Division	Six marks
	Third Division	Four marks

• Provided that the posts for which some physical standards have been prescribed as essential qualification or as mode of recruitment for the post the candidates shall be required to undergo prescribed physical tests before the selection and only those candidates shall be considered for selection who came upto the minimum standards prescribed for the post.

(b) Marks to a retrenched employee shall be awarded in the following manner subject to the maximum of fifteen marks:–

(i) For the first completed year of service	5 marks
(ii) For the next and every completed year of service	5 marks for each Year

(c) Marks to a sportsman shall be awarded in the following manner subject to the maximum of five marks:–

(i) If the candidate is a sportsman of International level	5 marks
(ii) If the Candidate is a sportsman of National level	4 marks
(iii) If the Candidate is a sportsman of State level	3 marks
(iv) If the Candidate is a sportsman of University/ College/School level	2 marks

(d) In the case of candidates to be selected for any post for which typewriting or shorthand and typewriting has been prescribed as an essential qualification, there shall be a test of typewriting of shorthand and typewriting as the case may be, of qualifying nature. Only those candidates who have attained the minimum speed prescribed for typewriting or shorthand and typewriting, as the case may be, shall be considered for selection. The number of candidates to be called for typewriting test or shorthand and typewriting test, as the case may be shall be such as is considered appropriate by the Selection Committee. For this purpose the merit list of candidates shall having regard to the provisions of reservation referred to in rule 4, be made sparately on the basis marks obtained by them under clauses *(a), (b)* and *(c)*.

(4) *(a)* After the results of the evaluations under clauses (a), (b), (c) and (d) of sub-rule (3) have been received and tabulated, the Selection Committee shall, having regard to the provisions of reservation referred to in rule 4, hold an interview. The number of candidates to be called for interview shall be four times the number of the vacancies. In the case of candidates to be selected for a post for which typewriting or shorthand and typewriting has been prescribed as an essentail qualification, only such candidates who qualify the typewriting test or shorthand and typewriting test, as the case may be, under clause *(d)* of sub-rule (3) shall be called for interview.

(b) The interview shall carry thirty marks. Marks at the interview shall be awarded by the Chairman and all other Members separately in the following manner:–

(i) Subject/General Knowledge	Up to twelve marks
(ii) Personality Assessment	Up to nine marks
(iii) Power of Expression	Up to nine marks

NOTE:–The total marks obtained by a candidate at the interview shall be determined by calculating the average of marks awarded to him by the Chairman and all the Members of the Selection Committee separately.

(c) The Chairman and Members of the Selection Committee shall, in no case, be provided any information with regard to marks obtained by candidates under clauses *(a), (b)* and *(c)* of sub-rule (3) at the time of interview.

(5) The marks obtained by each candidate at the interview under sub-rule (4) shall be added to the marks obtained under sub-rule (3), the final select list shall be prepared on the basis of aggregate of marks so arrived. If two or more candidates obtain equal marks in the aggregate, the candidate senior in age shall be placed higher in the select list.

(6) The select list referred to in sub-rule (5) shall be forwarded to the appointing authority.

Constitution of Selection Committee

6. Direct recruitment shall be made by a Selection Committee comprising:–

(i) Appointing Authority — *Chairman*

(ii) An officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, nominated by the Chairman if the Chairman does not belong to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If the Chairman belongs to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes an officer other than belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or other Backward Classes shall be nominated by the Chairman. — *Member*

(iii) An officer belonging to the other Backward Classes shall be nominated by the Chairman if the Chairman does not belong to the other Backward Classes. If the Chairman belongs to the other Backward Classes an officer other than Backward Classes or Scheduled Castes or Scheduled Tribes shall be nominated by the Chairman. — *Member*

(iv) An officer having adequate knowledge in the related field according to be requirements of the post for which recruitment is to be made shall be nominated by the Chairman. — *Member*

(v) An officer nominated by the District Magistrate of the concerned district. — *Member*

NOTE:–(1) If the appointing authority is the Head of the Department then in such all the member of the Selection Committee shall be nominated by him. He may, on his behalf nominate an officer senior to other members as Chairman of the Selection Committee, Such Head of the Department may Constitute more then one Selection Committee for holding interview only.

NOTE:–(2) If the Jurisdiction of an appointing authority extends to more than one district then in such case the recruitment process shall be done in that district in which the Head Quarters of the appointing authority is situated.

Fee

7. Candidates for Selection shall be required to pay to the Selection Committee such fee as may, from time to time, be determined by the Government. No claim for the refund of the fee shall entertained.

Inspection of records by the candidates

8. Candidates shall be permitted to inspect the records pertaining to the selection process done and the marks awarded therein by the Selection Committee in accordance with rule 5 on payment of such fee as may be determined by the Government from to time. If a candidates so desires, he shall also be provided with photo state copies of such records on payment of a fee at the rate of rupees five per page.

By order,
RAJENDRA BHONWAL,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 8 सा० नियुक्ति–27.6.2007–(566)–3000–प्रतियां–(कम्प्यूटर / आफसेट)।